विधिक सहायता और सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई महिला वकील

2577. श्री सूरज प्रसाद :
श्री राम नरेश कुशवाहा :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1985 से कितनी महिलाओं को विधिक सहायता और सलाहकार बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त वकीलों की सहायता उपलब्ध कराई गई हैं तथा उन वकीलों द्वारा कितने मामले निपटाए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इन आरोपों की जांच कराई है कि जो वकील बोर्ड द्वारा दिए जाते हैं वे उनको दिए गए मुकदमों की पैरवी नहीं करते हैं और साथ ही वे तलाकशुदा महिलाओं अथवा उनकी सहायता के लिए साथ आने वालों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं और मामले सालों तक ज्यों के त्यों ही पड़े रहते हैं ; और

(ग) पटियाला हाउस, नई दिल्ली में तलाकशुदा महिलाओं के 31 जुलाई, 1987 तक के लंबित पड़े हुए कितने मामले ऐसे हैं जिनको एक वर्ष से अधिक समय हो गया है परन्तु उनमें वकीलों ने गुजारा भत्ता तक नहीं दिलाया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार :—

(क) दिसम्बर, 1985 से 759 महिलाओं के लिए वकीलों की व्यवस्था की गई । ऐसे मामले जिनमें विधिक सहायता दी गई है अधिकांश मामलों में और जो कुछ निपटाए गए हैं, वे अधिकतर महिलाओं के पक्ष में ही विनिश्चित हुए हैं । कुछ मामले ऐसे भी हैं जिन्हें विधिक सहायता देकर उच्च न्यायालय में ले जाया गया है।

(ख) दिल्ली विधिक सहायता और सलाह बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए काउंसलों के विरुद्ध कुछ शिकायतें की गई ह किन्तु ऐसी शिकायतें जब कभी की जाती हैं तो उनकी जांच तत्काल की जाती है । अक्सर यह पाया जाता है कि ऐसी शिकायतों का आधार उन पक्षकारों का असंतोष होता है जो वकीलों से अत्याधिक आशायें रखते हैं ।

(ग) दिल्ली विधिक सहायता और सलाह बोर्ड से जानकारी एकत्रित की जा रही है और पटल पर रख दी जाएगी ।

Action against drug companies for overcharging

2578. SHRI SUKOMAL SEN:

SHRI MOSTAFA BIN QUASEM:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the names of the drug "manufacturers who have overcharge^ the consumers to the extent of about Rs. 50 crores sinc$_e$ 1981;

(b) the details of the prosecution proceedings initiated by Government against these companies; and

(c) if no action has yet been ini tiated by when such action is likely to be taken?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF HEMICALS AND PETRO-CHEMICALs IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI R. K. JAICHANDRA SINGH): (a) to (c) Some companies have charged their own prices due to stay orders granted by various High Courts. Necessary steps to recover the overcharged amount as per due i process of law have been taken, wherever necessary.